न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 114/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. नीना देवी पत्नि हुकमचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम घीलोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
2. मुस्कान पुत्री हुकमचन्द
3. रितीक पुत्र हुकमचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम घीलोठ तहसील नीमराना जिला अलवर निबालिग जरिये सरपरस्त माता नीना देवी पत्नि हुकमचन्द जाति अहीर निवासी घीलोठ तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

:———————— अपीलांटस

बनाम

1 भूपसिंह पुत्र फकीरसिंह जाति राजपूत
2 धर्मवीर सिंह
3 रामसिंह पुत्रान मातूसिंह
4 अजीत सिंह
5 संदीपसिंह पुत्रान किशनसिंह
6 कैलाशी देवी बेवाह किशनसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला अलवर (मृतक)

6/1 अजीसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती कैलाशी देवी

6/2 संदीपसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती कैलाशी देवी

6/3 सुभाग पुत्री स्व0 श्रीमती कैलाशी देवी

6/4 सवित पुत्री स्व0 श्रीमती कैलाशी देवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6/5 गंजू पुत्री स्व0 श्रीगती कैलाशी देवी

6/6 सन्तोष पुत्री स्व0 श्रीगती कैलाशी देवी

6/7 सरोज पुत्री स्व0 श्रीगती कैलाशी देवी

6/8 सुमन पुत्री स्व0 श्रीमती कैलाशी देवी

जाति राजपूत निवासीयान ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना

7 जिला कलेक्टर, अलवर

8 उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना

9 तहसीलदार, नीमराना

:------- असल रेस्पो0

10. सत्यवीर सिंह

11. सुरेश पुत्रान मंगतू

12. चन्द्रो बेवा मंगतू

13. महीपाल पुत्र हीरालाल

14 रामा

15 सुरमती पुत्रियान हीरालाल जातियान अहीर निवासी ग्राम घीलोठ

तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, नीमराना

दिनांक 31.10.2018

:- 1. वकील अपीलांट :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :- श्री गणपत सिंह नरूका

निर्णय दिनांक 3.9.21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, नीमराना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 241/2016 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के खिलाफ धारा 225 आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1038 रकबा 7 एयर, 1039 रकबा 6 एयर वाके ग्राम घीलोठ तहसील नीमराना में स्थित है । विवादित भूमि खसरा नम्बर 1038 अप्रार्थी संख्या 2 ला0 6 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा हाल खसरा नम्बर 1039 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । प्रतिवादी नम्बर 2 ला0 6 ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1038 का बेचान प्रतिवादी नम्बर 01 को कर दिया है । अब अप्रार्थी नम्बर 01 अप्रार्थी नम्बर 2 ला0 6 की कब्जे काश्त की भूमि, जो वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आम रास्ते से लगती हुई भूमि के पीछे की ओर स्थित है, पर काबिज है । प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1039 दौराने बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 648 रकबा 10 बिस्वा कायम किये गये हैं । जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मुताबिक साबिक एक्सपार्चा नक्शा सम्वत 1057 व 2038 आम रास्ते से लगती हुई भूमि है एवं आज भी मौके पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आम रास्ते से लगती हुई है । जिस पर प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी मुताबिक हाल जमाबन्दी अपने अपने हिस्सों पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे हैं । असल प्रतिवादी नम्बर 2 ला0 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1038 प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1039 मौके पर स्थित भूमि से लगती हुई पीछे की ओर स्थित है तथा मौके पर असल अप्रार्थी संख्या 2 ला0 6 वादीगण की आम रास्ते से लगती हुई आराजी के पीछे स्थित भूमि पर खसरा नम्बर 1038 व 1039 का उपयोग करते रहे हैं । बंदोबस्त हाल ने खिलाफ मौका व कानून के सम्वत 1957 व एक्सपार्चा सम्वत 2038 को बदलते हुये आम रास्ते से लगती हुई प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1039 की जगह असल अप्रार्थी संख्या 2 ला0 6 की भूमि खसरा नम्बर 1038 का अंकन कर दिया । प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 1039 की जगह गलत रूप से अंकित खसरा नम्बर 1038 को कलमजन कराकर खसरा नम्बर 1039 का अंकन कराने के अधिकारी है । इसी प्रकार असल अप्रार्थी संख्या 01 ला0 6 की भूमि खसरा नम्बर 1038

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

की जगह दर्ज प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1039 को कलजमन कराकर उसकी जगह खसरा नम्बर1038 का सही अंकन कराकर हाल राजस्व रेकार्ड, एक्सपार्चा सम्वत 1957 को दुरूस्त कराने के अधिकारी है । इसलिये धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 31.10.2018 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि तहत अदालत में हमने आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया था । उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार नीमराना को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु अहकाम जारी कर दिया था । परन्तु मौका रिपोर्ट आने से पहले ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो उचित नहीं है । मौका रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिये था । आराजी खसरा नम्बर 1038 रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 की खातेदारी का है तथा आराजी खसरा नम्बर 1039 हमारी खातेदारी का है । रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 ने अपनी भूमि रेस्पो0 संख्या 01 को बेच दी । अब रेस्पो0 संख्या 01 की भूमि, जो अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि आम रास्ते से लगती है, आराजी के पीछे की ओर स्थित है । तहत अदालत ने सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर नहीं किया और विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि हम आराजी खसरा नम्बर 1038 के खातेदार है । यह भूमि विवादित नहीं है और अपीलांट का इससे कोई लेना देना नहीं है । हम रेकार्डेड खातेदार है । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । बंदोबस्त विभाग ने जो रेकार्ड तैयार किया है, वह मौका अनुसार सही तैयार किया है । हमारी भूमि ही रास्ते से लगती हुई है । धारा 212 के तीनों बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है । इसलिये इनका धारा 212 का प्रार्थना पत्र सही तौर पर खारिज किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील रेस्पो0 संख्या 06 कैलाशी का देहान्त हो गया था । उसका मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.2.2020 को स्वीकार कर वारिसान का रेकार्ड पर लिया गया था । दिनांक 2.2.2021 को उभयपक्ष के वकीलों द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन करने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसीलदार नीमराना से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.2.2021 अदालत हाजा को प्राप्त हुई । एक अन्य मौका रिपोर्ट दिनांक 17.3.2021 भी प्राप्त हुई ।

6 इसके पश्चात धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर किया । पत्रावली में संलग्न हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में खसरा नम्बर 1039 प्रार्थीगण अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1038 रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है । विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान के टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रयोजन पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकना है । हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर है । जिसके सम्बन्ध में वकील अपीलांट का कथन है कि उनकी आराजी खसरा नम्बर 1039 रास्ते से लगती हुई है, परन्तु बंदोबस्त ने रेस्पो0 की आराजी खसरा नम्बर 1038 को साबिक रेकार्ड एवं नक्शा के विपरीत रास्ते से लगती हुई दर्शाया दिया है । ऐसी स्थिति में भी अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई और रेस्पो0 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1038 को रास्ते की बताकर स्थानांतरित कर दिया तो इससे अपीलांट के वाद की मन्शा ही समाप्त हो जायेगी और पक्षकारान को एक ओर विवाद में फंसना पडेगा । पक्षकारान के मध्य दौराने विचारण वाद गम्भीर और अनावश्यक विवाद हो रोकने हेतु हम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो मूल वाद के निर्णय तक आराजी खसरा नम्बर 1038 रकबा 7 एयर वाके ग्राम घीलोठ तहसील नीमराना जिला अलवर को रास्ते से लगती हुई बताकर रहन, बय, हिबा आदि से स्थानांतरित ना करें, अपीलांट के कब्जे काश्त में महाजमत ना करें, अपीलांट को उनकी आम रास्ते से लगती हुई भूमि से बेदखल ना करें, रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर